



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-11072026-274386
CG-CG-E-11072026-274386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3599]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3599]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 8 जुलाई, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 ड के अंतर्गत सूचना

का.आ. 3761(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20 क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 21 अप्रैल, 2026 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का आ. 1984 (अ), 13 अप्रैल, 2026 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् राजनंदगांव—नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र, के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की धोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् भवानी टाइम्स, गोंदिया तारीख 26 मई, 2026, दैनिक कशिश तारीख 26 मई, 2026 एवं भंडारा पत्रिका तारीख 28 मई, 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे; सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20इ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् राजनंदगांव—नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के लिए अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

राजनंदगांव—नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र प्रकल्प

अ.क्र.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाव का नाम	खातेदार का नाम व पता	सर्वे क्रमांक	भोगवटदार वर्ग	7/12 आराजी हे. आर	संपादनखालील क्षेत्र हे. आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोंदिया	सालेकसा	धानोली	श्री. घनश्याम रामा राऊत व इतर	514	1	2.03	0.02
						कुल		0.02
1	गोंदिया	सालेकसा	दरबडा	श्रीमती. कान्हाबाई जगन्नाथ टेंभरे व इतर	669	1	0.06.00	0.03.32
						कुल		0.03.32

[फा.सं. डीसीई/सी/एन.जी.पी./आर.जे.एन.—एन.जी.पी. तीसरी लाइन/20 इ/1/2]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS (South East Central Railway) NOTIFICATION

Bilaspur, the 8th July, 2026

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 3761(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 1984 (E), dated the 13 April, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), dated the 21 April, 2026 and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (here in after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely “Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 Km) Chhattisgarh and Maharashtra” in the District of Gondia in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Bhawani Times of dated 26 May, 2026, Dainik Kashish of dated 26 May, 2026 & Bhandra Patrika of dated 28 May, 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20 D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 Km) Chhattisgarh and Maharashtra in Gondia District in the State of Maharashtra:—

Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 Km) Chhattisgarh and Maharashtra Project								
Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Name of Account holder & Address	Survey Number	Category of Land holding	Total area as per 7/12 (Ha)	Acquisition Area in (H.R./Sq.M)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gondia	Salekasa	Dhanoli	Shri. Ghanshyam Rama Raut & Others	514	1	0.03.00	0.02.00
						Total		0.02.00
1	Gondia	Salekasa	Darbada	Shrimati Kanhabai Jagannath	669	1	0.06.00	0.03.32
						Total		0.03.32

[F.No. DCE/C/NGP/RJN-NGP 3rd line /20E/1/2]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con)